

राज्यसभा के सभापति

प्रलिस के लयल:

अनुच्छेद 89, उपराषुडरपतल, उच्च सदन, राज्य सभा के उपसभापतल, भारतीय संवधान ।

मेनुस के लयल:

राज्यसभा के अध्यक्ष से संबधतल संवधानकल प्रावधान और शकुतयलँ ।

चरुा में कुयँ?

हाल ही में जगदीप धनखडु को [राज्यसभा](#) के सभापतल के रूप में चुना गया ।

राज्यसभा के सभापतल

परचय:

- [उपराषुडरपतल](#) राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष हुता है ।
- राज्यसभा के सभापतल के रूप में उपराषुडरपतल सदन की प्रतषुठा और सम्मान का नरुवरलध संरकुषक हुता है ।

संवधानकल प्रावधान:

- [अनुच्छेद 64](#): उपराषुडरपतल राज्य सभा का पदेन अध्यक्ष हुगा और लाभ का कुई अन्य पद धारण नही करेगा ।
- संवधान के [अनुच्छेद 89](#) में सभापतल (भारत के उप-राषुडरपतल) और राज्यसभा के उपसभापतल का प्रावधान है ।

शकुतयलँ और कारुय:

- राज्यसभा के सभापतल को कोरम (गणपूरुतल) न हुने की सुथतलल में सदन को सुथगतल करने या उसकी बैठक सुथगतल करने का अधिकार है ।
- संवधान की 10वीं अनुसूची सभापतल को दल-बदल के आधार पर राज्यसभा के सदसुय की अयुगुयता के प्रशुन का नरुधरण करने का अधिकार देती है ।
- सदन में वशुषाधकलर हनन का प्रशुन उठाने के लयल सभापतल की सहमतल आवश्यक है ।
- संसदीय समतलललँ, चाहे वह सभापतल द्वारा गठतल हुँ या सदन द्वारा, सभापतल के नरुदेशन में काम करती हुँ ।
- वह सदसुयँ को वभलनलन सुथायी समतलललँ और वभलग-संबधतल संसदीय समतलललँ में नामतल करता है । वह कारुय मंतरुणा समतलल, नयलम समतलल और सामानुय प्रयुजन समतलल के अध्यक्ष हुँ ।
- जहाँ तक सदन में या उससे संबधतल मामलुँ का संबध है, संवधान और नयलमों की वुयखुया करना सभापतल का करुतवुय है और कुई भी ऐसी वुयखुया पर सभापतल के साथ शामिल नही हु सकता है ।

सभापतल को पद से हटाना:

- राज्यसभा के सभापतल को पद से तभी हटायु जा सकता है जब उसे भारत के उपराषुडरपतल के पद से हटा दललु जाए ।
- जब उपराषुडरपतल को हटाने का संकलुप वुयारुाधीन हु, वह सभापतल के रूप में सदन की अध्यक्षता नही कर सकता हालाँकु वह सदन में उपसुथतल हु सकता है ।

उपराषुडरपतल से संबधतल प्रावधान:

उपराषुडरपतल:

- उपराषुडरपतल भारत का दूसरा सर्वुुचु संवधानकल पद है । वह पाँच वरुष के कारुयकाल के लयल कारुय करता है, लेकनल वह कारुयकाल की समापुतल के बावजुद तब तक पद पर बना रह सकता है जब तक कु उतुतराधकलरी द्वारा पद ग्रहण नही कर लललु जाता है ।
- उपराषुडरपतल भारत के राषुडरपतल को अपना तुयुगपुतर दे सकता है ।
- उपराषुडरपतल को [राजुय प्रषुड \(राजुयसभा\)](#) के एक प्रसुताव द्वारा पद से हटायु जा सकता है, जो उस समय उपसुथतल सदसुयँ के बहुमत से पारतल हुता है, साथ ही [लुकसभा](#) की सहमतल आवश्यक हुती है । इस प्रयुजन के लयल कम-से-कम 14 दनलँ का नुटसल दललु जाने के बाद ही

इस आशय का कोई प्रस्ताव पेश किया जा सकता है।

• उपराष्ट्रपति राज्यों की परिषद (राज्यसभा) का पदेन अध्यक्ष होता है और उसके पास कोई अन्य लाभ का पद नहीं होता है।

■ योग्यता:

- भारत का नागरिक होना चाहिये।
- 35 वर्ष की आयु पूरी होनी चाहिये।
- राज्यसभा के सदस्य के रूप में चुनाव के लिये योग्य होना चाहिये।
- केंद्र सरकार या किसी राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकरण या किसी अन्य सार्वजनिक प्राधिकरण के अधीन लाभ का कोई पद धारण नहीं करना चाहिये।

■ नरिवाचक मंडल:

- भारत के संविधान के अनुच्छेद 66 के अनुसार, उपराष्ट्रपति का चुनाव नरिवाचन मंडल के सदस्यों द्वारा किया जाता है।
- नरिवाचक मंडल में निम्नलिखित शामिल हैं:
 - राज्यसभा के नरिवाचक सदस्य।
 - राज्यसभा के मनोनीत सदस्य।
 - लोकसभा के नरिवाचक सदस्य।

■ चुनाव प्रक्रिया:

- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 68 के अनुसार, कार्यालय की समाप्ति के कारण हुई रिक्ति को भरने के लिये चुनाव, नवितमान उपराष्ट्रपति का कार्यकाल समाप्त होने से पहले पूरा किया जाना आवश्यक है।
- राष्ट्रपति और उप-राष्ट्रपति चुनाव अधिनियम, 1952 तथा राष्ट्रपति एवं उप-राष्ट्रपति चुनाव नियम, 1974 के साथ संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत उपराष्ट्रपति के कार्यालय के चुनाव के संचालन का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण भारत नरिवाचन आयोग में नहित है।
 - चुनाव के लिये अधिसूचना नवितमान उपराष्ट्रपति के कार्यकाल की समाप्ति के साठ दिन पूर्व या उसके बाद जारी की जाएगी।
- चूँकि नरिवाचक मंडल के सभी सदस्य, संसद के दोनों सदनों के सदस्य होते हैं, इसलिये प्रत्येक संसद सदस्य के मत का मूल्य समान होगा अर्थात् 1 (एक)।
- चुनाव आयोग, केंद्र सरकार के परामर्श से लोकसभा और राज्यसभा के महासचिव को बारी-बारी से नरिवाचन अधिकारी (रिटर्निंग ऑफिसर) के रूप में नियुक्त करता है।
 - तदनुसार महासचिव, लोकसभा को भारत के उपराष्ट्रपति के कार्यालय के वर्तमान चुनाव के लिये नरिवाचन अधिकारी के रूप में नियुक्त किया जाएगा।
- आयोग ने नरिवाचन अधिकारी की सहायता के लिये संसद भवन (लोकसभा) में सहायक नरिवाचन अधिकारी नियुक्त करने का भी नरिणय लिया है।
- राष्ट्रपति और उप-राष्ट्रपति चुनाव नियम, 1974 के नियम 8 के अनुसार, चुनाव के लिये मतदान संसद भवन में होगा।

UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के प्रश्न (PYQs)

प्रश्न. निम्नलिखित कथनों पर वचिर कीजिये: (2013)

1. राज्यसभा का सभापति तथा उपसभापति उस सदन के सदस्य नहीं होते हैं
2. जबकि राष्ट्रपति के नरिवाचन में संसद के दोनों सदनों के मनोनीत सदस्यों को मतदान का कोई अधिकार नहीं होता, उनको उपराष्ट्रपति के नरिवाचन में मतदान का अधिकार होता है

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

- (a) केवल 1
- (b) केवल 2
- (c) 1 और 2 दोनों
- (d) न तो 1 और न ही 2

उत्तर: (b)

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस